कार्यालय : कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद्, चिरकुण्डा (धनबाद)

अति अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना सं0 :– 05/18–19

1. विज्ञापन दाता का नाम :– कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद्
2. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि एवं अवधि :– 03.01.19 एवं 04.01.19, 10:00 बजे से 03:00 बजे अप0 तक
3. परिमाण विपत्र बिक्री का स्थान :– कार्यालय चिरकुण्डा नगर परिषद्
4. निविदा प्राप्त करने की तिथि अवधि एवं स्थान :– 05.01.19 अपराहन 03:00 बजे तक चिरकुण्डा नगर परिषद् कार्यालय।
5. निविदा खोलने की तिथि समय एवं स्थान :– 05.01.19 अप0 03:30 बजे चिरकुण्डा नगर परिषद् कार्यालय।
6. कार्य की विवरणी :– निविदा की नियम एवं शर्तें कार्यालय अवधि में कार्यालय के सूचना पट्ट एवं विभागीय **Website:- udhd.jharkhand.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क्र0	योजना का नाम	प्राक्कलित राशि	अग्रधन की राशि	परिमाण विपत्र का मूल्य	कार्य समाप्ति की अवधि
02	चिरकुण्डा नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड सं0 01 में नसरूद्दीन साहेब के घर से लेकर ग्रामीण वार्ड तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	70550.00	BOQ का 2%	1000.00	45 दिन
02	चिरकुण्डा नगर परिषद् अंतर्गत वार्ड सं0 13 में चंदा देवी के घर से गुड्डु के घर तक पी0सी0सी0 पथ निर्माण।	193200.00	BOQ का 2%	1000.00	45 दिन

ह0/–
कार्यपालक पदाधिकारी
चिरकुण्डा नगर परिषद्।

ज्ञापांक 1395/दिनांक 21/12/18

प्रतिलिपिः– हिन्दुस्तान एवं दैनिक भास्कर को धनबाद संस्करण में सरकारी न्यूनतम दर पर मात्र एक दिवसीय प्रकाशन हेतु प्रेषित।

21/12/18
कार्यपालक पदाधिकारी
चिरकुण्डा नगर परिषद्।

Scanned by CamScanner

कार्यालय : कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद, चिरकुण्डा (धनबाद)

निविदा आमंत्रण सूचना सं0 :– 05/18–19

नियम एवं शर्ते :–

1. इस निविदा में चिरकुण्डा नगर परिषद् एवं नगर विकास एवं आवास विभाग, राँची के समुचित श्रेणी के निबंधित संवेदक ही भाग ले सकते हैं।
2. निविदा एकल लिफाफा पद्धति पर आधारित होगा। लिफाफे के अन्दर निम्न कागजातों की स्वअभिप्रमाणित प्रति रहना आवश्कय है। (1) समुचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण–पत्र (2) G.S.T. No. (GST की कटौती सरकार के निर्णय के आलोक में किया जाएगा) (3) पैन कार्ड (4) चरित्र प्रनाण–पत्र (5) अग्रधन की राशि (बैंक ड्राफ्ट) (6) शपथ–पत्र (पूर्व में कोई कार्य लंबित नहीं है) (7) दर निरधारण करते हुए लिफाफे में भरकर समर्पित करना होगा। लिफाफे के उपर निविदा सं0 एवं कमांक सं0 लिखना आवश्यक होगा।
3. परिमाण विपत्र प्राप्ति हेतु आवेदन के साथ निबंधन प्रमाण–पत्र, G.S.T. निबंधन प्रनाण–पत्र, पैन कार्ड, चरित्र प्रनाण–पत्र की स्वअभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा एवं कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद्, चिरकुण्डा के पदनान से बैंक ड्राफ्ट जमा करना होगा जो लौटाया नहीं जाएगा।
4. अग्रधन की राशि बैंक ड्राफ्ट कार्यपालक पदाधिकारी, चिरकुण्डा नगर परिषद् के पदनाम से बनाकर निविदा में जमा करना अनिवार्य होगा।
5. परिमाण विपत्र खरीदने के पूर्व संबंधित कार्य का स्थल निरीक्षण, प्राक्कलन की जानकारी कर लेना उचित होगा। बाद में किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।
6. संवेदकों को कार्य आवंटन के एक सप्ताह के अंदर एकरारनाना कर कार्य प्रारंभ करने एवं कार्यादेश में निहित निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत कार्य समाप्त करने की बाध्यता होगी, ऐसा नहीं किये जाने की स्थिति में कार्य आवंटन रद्द करते हुए अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है। विलंब के लिए कोई समुचित कारण नहीं होने पर विचार नहीं किया जाएगा।
7. निविदा की अन्य शर्ते परिमाण विपत्र के साथ संलग्न रहेगा जो निविदादाता को मान्य होगा। प्रकाशित NIT में प्राक्किलित राशि घट–बढ़ सकती है। परिमाण विपत्र अंकित राशि ही मान्य होगी।
8. सचिव, नगर विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के निदेशानुसार संवेदक द्वारा किये गए कार्य का रख रखाव एक वर्ष तक अपने खर्च पर करना होगा।
9. संवेदक द्वारा किये गए कार्य संतोषप्रद होने पर कार्य समाप्ति के उपरांत अग्रधन की राशि लौटा दी जाएगी एवं 05 प्रतिशत विपत्र से काटी गई सुरक्षित जमा राशि एक वर्ष के उपरांत लौटायी जाएगी।
10. अनुसूचित दर से 10 प्रतिशत से नीचे एवं अनुसूचित दर से अधिक दर एवं सशर्त निविदा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा।
11. सफल संवेदक द्वारा व्यवहार/आपूर्ति किये जाने वाली सामग्री में किसी प्रकार की गड़बड़ी पाये जाने पर निविदा को रद्द कर दिया जाएगा तथा सुरक्षित जमा राशि जब्त कर उनके विरूद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
12. कार्य में लगने वाले निर्माण से संबंधित सामग्रियों एवं उपकरणों की व्यवस्था संवेदक को स्वयं करना होगा। विभाग कोई सामग्री या उपकरण उपलब्ध नहीं करायेगा।
13. विपत्र से नियमानुसार आवश्यक कटौती कर भुगतान किया जाएगा।
14. संबंधित कार्य के आवंटन की निकासी होने पर ही किये गये कार्य का भुगतान किया जाएगा। निकासी के पूर्व भुगतान पर संवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा।
15. विशेष जानकारी चिरकुण्डा नगर परिषद् कार्यालय में कार्य अवधि में प्राप्त किया जा सकता है।
16. निविदा अथवा किसी कार्य को बिना कारण दर्शाये रद्द करने या एक या अधिक संवेदकों के बीच कार्य बांटने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा।
17. एकरारनामा के समय वांक्षित सभी कागजातों का **मूल प्रमाण पत्र** दिखाना अनिवार्य होगा।

/12/19

कार्यपालक पदाधिकारी
चिरकुण्डा नगर परिषद्।

Scanned by CamScanner